निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
29 /2020	24.8.2020	15.01.2021

1.रेखराम पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1.लेण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार तहसील वजीरपुर।
2.प्रेमसिहं पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर।
3.बनेसिहं पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर।
4.भीमसिहं पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर।
5.रामधनी पत्नि पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर।
6.शिवराम पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की और से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1178 रकबा 0.20 है0,1286 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें खातेदारी में प्रार्थी का नाम सहवन से टाईपिगं की गलती के कारण रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज कर दिया गया है,जबकि प्रार्थी का सही नाम

रेखराम है। इसलिए वह अपने नाम की रेवन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर लेखराज के स्थान पर रेखराम कराने का अधिकारी है।यह कि प्रार्थी का नाम अन्य समस्त सरकारी कागजात आधार कार्ड,राशनकार्ड,पहचानपत्र,जनआधार कार्ड,बैंक पास बुक सभी में रेखराम है जो सही है परन्तु रेवन्यु रिकार्ड में टाईपिग की की गलती से रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज हो गया है।जिसको न्याय हित में दुरूस्ती होना आवश्यक है। यह कि पूर्व में प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नही थी परन्तु प्रार्थी को जब पैसों की आवश्यकता हुयी तथा वह के.सी. सी. बनवाने दिनांक 29.7.2020 को बैंक गया तो बैंक मैनेजर ने कागजात देखकर बताया कि पहले रेवन्यु रिकार्ड में अपना नाम सही करवाकर लाओ,उसके पश्चात् ही लोन की पत्रावली बनेगी,तब प्रार्थी को सर्वप्रथम यह जानकारी में आया कि उसका नाम रेवन्यु रिकार्ड में टाईपिगं की गलती के कारण रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज हो गया है।इसलिए यह इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी वर्तमान खाता संख्या स0 615 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर मे दर्ज लेखराज पुत्र पतोल के स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दियें जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में संशोधन के आदेश दिये जावें। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2073–2076,ग्राम पंचायत मीना बडौदा का प्रमाणपत्र, फोटोप्रति आधारकार्ड ,राशनकार्ड व फोटोप्रति वोटर मतदाता पहचानपत्र,फोटोप्रति बैंक पासबुक पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी रेखराम उनके परिवार का सदस्य है जिसका नाम सहवन् से रेवन्यु रिकार्ड में लेखराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम लेखराज के स्थान पर रेखराम किये जाने में हमें कोई आपत्ति नही है । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 19.10.2020 को अपने पत्र कमांक 791 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की । बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 का एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधारकार्ड,व मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम लेखराज पुत्र पतोल दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड,मतदाता पहचान पत्र में उसका नाम रेखराम पुत्र पतोल दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार लेखराज पुत्र पतोल के स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 615 में कम संख्या 6 पर दर्ज नाम लेखराज को हजफ कर उसके स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 615 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर